Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

देश के विकास में, जीएसटी के योगदान का अध्ययन

डॉ. अरुणा पाठक*

* सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष्य (वाणिज्य) माता गुजरी महिला महाविद्यालय (स्वाशासी) जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में सबसे बड़ा कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर (GST) अंतत: लागू हो गया है, जो 'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' के सिद्धांत पर आधारित है। यह वह महत्वपूर्ण कदम है जिसका भारतीय सरकार कई दशकों से इंतजार कर रही थी। जीएसटी के लागू होने के साथ ही देश में सबसे व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित हुई, जिसने व्यापार से जुड़ी अंतर-राज्यीय बाधाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारत एक विशाल एकीकृत बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है।

देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी लागू करने के पीछे यह उद्देश्य था कि इससे सभी हितधारकों को लाभ प्राप्त हो सके। निर्माताओं और व्यापारियों को कम कर रिटर्न दाखिल करने, अधिक पारदर्शी नियमों तथा सरल कर प्रणाली से लाभ मिलता है। वहीं उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत कम कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि सरकार को राजस्व संग्रह में वृद्धि की संभावना होती है।

इसी संदर्भ में यह अध्ययन जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके विभिन्न क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक आँकड़े और जानकारी विभिन्न द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्टों, पेशेवर संस्थाओं, कार्यकारी समितियों के दस्तावेजों, शोध पत्रों, लेखों, समाचार स्रोतों तथा बजट सत्रों से एकत्रित किए गए हैं।

शब्द कुंजी – वस्तु और सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उत्पादन।

प्रस्तावना – वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक ऐसा एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जिसका उद्देश्य आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना तथा कर प्रणाली को सरल बनाना है। भारत सरकार ने इस कर व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ 30 जून 2017 की मध्यरात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित विशेष समारोह में किया। जीएसटी लागू होने से पहले कंपनियों और व्यापारिक संस्थाओं को बिक्री कर, वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर, लक्जरी कर आदि अनेक अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इन सभी करों को समाप्त कर एक ही कर प्रणाली लागू कर दी गई। इस नई व्यवस्था में कर का निर्धारण उत्पादन स्तर के बजाय अंतिम उपभोग के स्तर पर किया जाता है और इसकी निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार की प्रक्रिया का प्रारंभ वर्ष 1986 में संशोधित मूल्यवर्धित कर के लागू होने से हुआ था। इसके बाद वर्ष 2007 में भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि वैट प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है। इसी दिशा में राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को देश में वस्तु एवं सेवा कर की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने विचार-विमर्श के बाद अप्रैल 2008 में जीएसटी का प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 3 अगस्त 2016 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित हुआ, और अंतत: इसे वर्ष 2017 में पूरे देश में लागू किया गया।

कर व्यवस्था किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बदले नागरिकों को अपनी आय का एक भाग कर के रूप में देना होता है। सामान्यत: कर दो प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर जैसे कर लगाए जाते थे, जबकि राज्य सरकारें बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर और प्रवेश कर जैसे कर लगाती थीं। ये सभी कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते थे।

भारत में लगाए जाने वाले अधिकांश अप्रत्यक्ष करों का वास्तविक भार अंतत: अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता था। उपभोक्ता तो कर का भुगतान कर देता था, लेकिन वह पूरी राशि सरकार तक नहीं पहुँच पाती थी, जिससे कर चोरी की समस्या उत्पन्न होती थी। विभिन्न प्रकार के करों की जटिलता के कारण कई बार सरकार को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता था। यही कारण था कि अनेक प्रकार के करों के स्थान पर एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली के रूप में जीएसटी को लागू किया गया, जिससे कर अपवंचन को कम करने और वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- देश के समग्र विकास में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के योगदान का विश्लेषण करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभावों का अध्ययन करना।
- देश में जीएसटी लागू होने के बाद उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण करना।
- जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से उत्पन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करना।
- देश में जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों तथा कार्ययोजना का अध्ययन करना।

जी.एस.टी. की मुख्य विशेषताएँ:

- **दोहरी कर प्रणाली** – जी.एस.टी. एक दोहरी कर व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक ही कर आधार पर कर लगाती हैं। अंतरराज्यीय लेन-देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर सी.जी.एस.टी. कहलाता है, जबकि उसी लेन-देन पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर एस.जी.एस.टी. के रूप में जाना जाता है।
- **गंतव्य आधारित उपभोग कर** – जी.एस.टी. एक गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। पहले कर का निर्धारण वस्तुओं के निर्माण, बिक्री या सेवाओं के प्रदान किए जाने के स्थान पर किया जाता था, जबकि जी.एस.टी. में कर उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम उपभोग होता है।
- **अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू** – जी.एस.टी. सामान्यत: अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। यद्यपि, मानव उपभोग हेतु शराब तथा कुछ पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एटीएफ को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ निर्धारित वस्तुओं और सेवाओं को भी जी.एस.टी. से छूट प्रदान की गई है।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव – वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से उत्पादकों और उद्योगों पर करों का बोझ काफी हद तक कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिला है। पहले की वैट कर प्रणाली में अनेक प्रकार के कर और जटिल संरचनाएँ मौजूद थीं, जिनके कारण निर्माताओं को अपने उत्पादन और व्यवसाय का विस्तार करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

इसके अतिरिक्त, पहले राज्यों की सीमाओं पर स्थित चेक पोस्ट, टोल प्लाजा तथा माल परिवहन से संबंधित अन्य प्रशासनिक बाधाएँ व्यापार के लिए बड़ी समस्या थीं। साथ ही अधिक स्टॉक रखने और वेयरहाउसिंग की बढ़ती लागत के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। जीएसटी के लागू होने के बाद एकल कर प्रणाली के माध्यम से इन बाधाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया, जिससे वस्तुओं के आवागमन और व्यापारिक प्रक्रियाओं में सरलता आई है।

जीएसटी ने कर आधार का विस्तार करके सरकार के राजस्व में वृद्धि की संभावनाएँ भी बढ़ाई हैं। इसके साथ ही यह पंजीकृत डीलरों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को औपचारिक कर व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेन-देन की लागत कम होने से व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक सुगम हुई हैं, जिससे देश में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना बनी है।

जी.एस.टी. से लाभ:

- **एक समान कर व्यवस्था** – जी.एस.टी. का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पूरे देश में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही कर प्रणाली लागू हो गई है। इससे अप्रत्यक्ष करों में एकरूपता आई है और देशभर में वस्तुओं की कीमतों में समानता बनाए रखने में सहायता मिली है।
- **कर संरचना में सुधार** – जी.एस.टी. लागू होने से कर व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सरल हो गई है। कर भुगतान की प्रक्रिया आसान हुई है, जिससे कर चोरी को कम करने में मदद मिली है। इसका सकारात्मक प्रभाव देश की सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ता है।
- **अनेक करों का समावेशन** – जी.एस.टी. के लागू होने के बाद चुंगी, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय बिक्री कर या वैट, प्रवेश कर, टर्नओवर टैक्स, दूरसंचार लाइसेंस शुल्क तथा बिजली के उपयोग या बिक्री पर लगने वाले कई करों को समाप्त कर दिया गया है और उन्हें एक ही कर प्रणाली में समाहित कर दिया गया है।
- **वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता** – जी.एस.टी. लागू होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता आई है तथा करों के दोहराव को समाप्त किया गया है।
- **कर चोरी में कमी** – पारदर्शी कर प्रणाली और डिजिटल प्रक्रिया के कारण कर चोरी में कमी आई है तथा कर संग्रह की व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है।
- **उद्योग और ई-कॉमर्स के लिए लाभकारी** – जी.एस.टी. व्यवस्था उद्योगों और ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, क्योंकि इससे व्यापार करने की प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवस्थित हो गई है।
- **निश्चित सीमा तक कर लाभ** –जी.एस.टी. में एक निर्धारित सीमा तक छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को कर संबंधी कुछ राहत और लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें व्यवसाय चलाने में सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष – वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम भारत में किए गए कर सुधारों में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। वर्तमान समय में यह विषय व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा और चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि भविष्य में इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर कुछ आशंकाएँ व्यक्त की जाती रही हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद भारत में 'एक देश, एक बाजार' की अवधारणा को बल मिला है। इसके माध्यम से विभिन्ना प्रकार के अनावश्यक अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एकीकृत कर प्रणाली स्थापित की गई है। परिणामस्वरूप देश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने के साथ-साथ कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। जीएसटी के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है, क्योंकि इससे कर प्रणाली में सुधार, राजस्व संग्रह में वृद्धि तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुगमता आई है।

इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर भारतीय कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा व्यापारिक वातावरण को अधिक सरल और एकीकृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ehtisham Ahamad and Satya Poddar (2009), "Goods and Service Tax Reforms & Intergovernmental Consideration in India", "Asia Research Center",LSE, 2009.
2. Dr. R. Vasanthagopal (2011), "GST in India: A Big Leap in the Indirect Taxation System", International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, April, 2011.
3. Pinki, Supriya Kamna, Richa Verma(2014), "Good and Service Tax – Panacea For Indirect Tax System In India", "Tactful Management Research Journal",Vol2, Issue 10, July, 2014.
4. Nitin Kumar (2014), "Goods and Service Tax in India- A Way Forward", "Global Journal of Multidisciplinary Studies", Vol 3, Issued, May 2014.
5. Agogo Mawuli (2014): "Goods and Service Tax- An Appraisal"Paper presented at the the PNG Taxation Research and Review Symposium, Holiday Inn, Port Moresby, 29-30.